मो० सोहैल, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 26-12-2016 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

(2) अनुपस्थित पदाधिकारी

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित पदाधिकारी बैठक से अनुपस्थित पाये गये :-

क्र0	संबंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1.	उप विकास आयुक्त, मधेपुरा	
2.	अपर समाहर्त्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधेपुरा	अवकाश में।
3.	जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा	विभागीय बैठक में भाग लेने हेतु पटना गये।
4.	प्रभारी आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा	विभागीय बैठक में भाग लेने हेतु पटना गये।
5.	जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
6.	श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मुरलीगंज	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
7.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घैलाढ़	अवकाश में।
8.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड	अवकाश में।
9.	अंचलाधिकारी, शंकरपुर	अवकाश में
10.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	अवकाश में।
11.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर	अवकाश में।
12.	श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा जाए।

(अनुपालन-प्रभारी पदा0, जिला गोपनीय शाखा)

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(3) लोक शिकायत निवारण :-

(i) जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय, मधेपुरा :- जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधेपुरा की खोज की गयी, परन्तु वे अनुपस्थित पाये गये। निदेशित किया गया कि आगामी सोमवारीय बैठक में ससमय उपस्थित रहेंगे। यदि वे किसी कारण से उपस्थित नहीं होते हैं, तो कार्यालय के आई0टी0 सहायक, श्री सुधांशु कुमार को बैठक में ससमय वांछित प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने हेतु अपने स्तर से निदेशित करें।

(ii) अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण, मधेपुरा :- अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा अंचलवार विस्तार से बताया गया, स्थिति निम्नवत् पायी गयी :-

○ **मुरलीगंज** :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि मुरलीगंज में 57 मामलें लंबित है। अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूरे गांव का मामला है, भूदान में कई लोगों को पर्चा मिला है। पैमाईस संबंधी मामला है तथा कुछ मामला नापी कराने का भी है। निदेश दिया गया कि विहित प्रक्रियानुसार मामलों का निष्पादन करें तथा दो दिनों के अंदर निराकरण कर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। यह भी बताया गया कि कुछ मामला अतिक्रमण का भी है। यह भी बताया गया कि बेदखली, भूदान और भूहदबंदी संबंधी 18 मामलें लंबित है। चूँकि शुओ-मॉटो का प्रावधान नहीं है, अन्यथा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि संबंधित मामलों का अभिलेख अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा को उपलब्ध करावें। अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि अपने स्तर से उक्त मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें।

○ **मधेपुरा** :- समीक्षा के क्रम में यह भी बताया गया कि अंचलाधिकारी मधेपुरा के यहां 8 मामला लंबित है, जो रसीद काटने से संबंधित है। प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व को निदेश दिया गया कि दोनों अंचलाधिकारी को बुलाकर मामलों का निष्पादन अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा के समक्ष अविलम्ब करावें। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि एक सरकारी जमीन है, जिसे कुछ व्यक्तियों को अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, जो लगभग 26 कट्ठा की जमीन है। बताया गया कि गलत ढ़ंग से दाखिल खारीज की गयी है। अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि अपने स्तर से जांच-पड़ताल कर वस्तुस्थिति से अवगत करायी जाए। साथ ही दोषी कर्मी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु अग्रतर कार्रवाई की जाए।

○ **कुमारखण्ड** :- बताया गया कि 03 मामलें लंबित है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब इसका निराकरण करें।

○ **बाल विकास परियोजना पदाधिकारी :-** बताया गया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घैलाढ़-4, सिंहेश्वर-1 के यहां मामला लंबित है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, मधेपुरा में भेजवाकर उक्त मामलों का अविलम्ब निराकरण करावें।

○ **कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, घैलाढ़ :-** बताया गया कि कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, घैलाढ़ के यहां एक मामला लंबित है। कार्यपालक अभियंता, मनरेगा, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि अविलम्ब कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, घैलाढ़ को निदेशित करें एवं अनुपालन कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन आगामी सोमवारीय बैठक के पूर्व उपलब्ध करावें।

○ **अंचल, गम्हरिया :-** समीक्षा के क्रम में बताया गया कि गम्हरिया में सैरात से संबंधित एक मामला लंबित है। अंचलाधिकारी, गम्हरिया को निदेश दिया गया कि अविलम्ब बंदोवस्त करें अन्यथा हस्तांतरण मत्स्य विभाग को करें।

○ **गाड़ियों की जांच :-** समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विगत सप्ताह में कई पदाधिकारियों द्वारा वाहनों की जांच नहीं की जा रही है, जो खेद का विषय है। अंचलाधिकारी, चौसा को निदेश दिया गया कि विजयघाट के समीप चेकपोस्ट /बैरियर बनावें। इसी प्रकार अंचलाधिकारी, मुरलीगंज को निदेश दिया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के साथ नियमित रूप से गाड़ियो की जांच करें।

(iii) अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण, उदाकिशुनगंज :- अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा बताया गया कि निम्नांकित पदाधिकारी के यहां विभिन्न मामला लंबित है :-

➢ **ग्वालपाड़ा** :- बताया गया कि अंचलाधिकारी, ग्वालपाड़ा के यहां एक मामला लंबित है, जो अतिक्रमण से संबंधित है। अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पहले से पक्का का मकान बना हुआ है, जबकि उक्त व्यक्ति भूमिहीन भी नहीं है तथा नोटिस भी भेजा गया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज को निदेश दिया गया कि इसकी जांच कर नियमानुसार अविलम्ब अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें।

➢ **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज** :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 4 मामला लंबित है, जो बटेदारी से संबंधित है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में भी दायर किया गया है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

➢ **आलमनगर** :- बताया गया कि अंचलाधिकारी, आलमनगर के यहां 01 मामला है, जो बेदखल का है।

➢ **चौसा** :- बताया गया कि बंदोवस्ती वाली जमीन को रद्द करने संबंधी मामला लंबित है।

➢ **पुरैनी** :- बताया गया कि लगान रसीद निर्गत करने संबंधी मामला है, जो अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में है। अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि इसकी सुनवाई की गयी है, संबंधित राजस्व कर्मचारी पर विधिसम्मत् कार्रवाई की गयी है।

➢ **उदाकिशुनगंज** :- बताया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के यहां इंदिरा आवास से संबंधित मामला लंबित है। अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि इस आशय का आदेश अपने स्तर से निर्गत किया जाए कि उक्त व्यक्ति को प्राथमिकता सूची में नाम डालने हेतु नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाए।

(4) ऑपरेशन दखल देहानी :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि मधेपुरा-122, घैलाढ़-14 एवं आलमनगर-03 मामला लंबित है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब इसका निराकरण करें।

इसके अतिरिक्त ऑपरेशन भूमि दखल देहानी अन्तर्गत अपलोड किये गये प्रपत्र-। एवं पूर्व में प्राप्त प्रतिवेदन की तुलनात्मक विवरणी की समीक्षा की गयी। बताया गया कि मधेपुरा-2457, घैलाढ़-122, गम्हरिया-539, शंकरपुर-113, मुरलीगंज-1600, कुमारखण्ड-623, ग्वालपाड़ा-1597, उदाकिशुनगंज-622, बिहारीगंज-358, पुरैनी-16, चौसा-1766, आलमनगर-1526 का अंतर है। संबंधित अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब इसका निराकरण करें, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

(5) अभियान बसेरा :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि घैलाढ़ में 5 तथा गम्हरिया में 53 मामला अभियान बसेरा का था, जिसका निराकरण करा दिया गया है। अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।

(6) इंदिरा आवास :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 28-12-2016 को इंदिरा आवास की समीक्षा बैठक अलग से निर्धारित है, अतएव उक्त बैठक में इसकी विस्तार से समीक्षा की जाएगी। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से इंदिरा आवास सहायकों की बैठक करें तथा वैसे इंदिरा आवास सहायकों चिन्हित करें, जिनके द्वारा कार्य में शिथिलता बरती जा रही है एवं प्रतिवेदन समर्पित करें, ताकि उनके विरूद्ध नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

यह भी निदेश दिया गया कि वैसे लाभुक, जिनके द्वारा इंदिरा आवास की राशि प्राप्त करने के उपरान्त भी आवास नहीं बनाया गया हो, उन्हें चिन्हित करें तथा उनके विरूद्ध निलाम पत्र वाद में केश दायर करें। बैठक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा द्वारा बताया गया कि विगत दो–तीन माह पूर्व ही कुछ लाभुकों का नाम नीलाम पत्र कार्यालय, मधेपुरा में दिया गया था, जिनके विरूद्ध सर्टिफिकेट केश दायर करना है, परन्तु आज तक नोटिस निर्गत नहीं किया गया है, जबकि कार्यालय सहायक द्वारा प्रपत्र उपलब्ध कराने हेतु बार–बार कहा जाता है। जिलाधिकारी द्वारा जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि इसकी समीक्षा अपने स्तर से करते हुए अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें एवं अनुपालन से आगामी सोमवारीय बैठक में अवगत करावें।

(7) कृषि :–

जिलाधिकारी द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा से पृच्छा की गयी कि कृषि इनपुट सब्सिडी का वितरण हो गया है अथवा नहीं, तो जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि इसका वितरण नियमानुसार करा दिया गया है।

(8) आपदा :–

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आपदा मद में विभाग द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया गया है, अतएव अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(9) स्वच्छ भारत मिशन :–

जिलाधिकारी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत् निर्माणाधीन शौचालयों की समीक्षा की गयी। जिला समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन द्वारा बताया गया कि कुल 22 पंचायत अन्तर्गत 45,337 शौचालय का निर्माण कराया जाना है, जिसमें 1990 में कार्य प्रारंभ हुआ है। बताया गया कि कुछ लाभुकों द्वारा नोटबंदी के कारण राशि की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य धीमी गति से कर रहे हैं। जबकि 449 वार्ड में नली–गली का कार्य शुरू हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जो पंचायत शत–प्रतिशत ओ0डी0एफ0 हो जाएगा, उसे ही राशि का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा। अतएव संबंधित वार्ड पंचायत के प्रतिनिधि को नोटिस भेजकर शीघ्रातिशीघ्र कार्य कराने का निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सुखासन पंचायत अन्तर्गत निर्माणाधीन शौचालयों को देखने हेतु सभी वार्ड सदस्यों का ग्रुप बनाकर उन्हें बारी–बारी से उक्त स्थल पर घुमाया जाए, ताकि उनके पंचायत में भी उसी अनुरूप शौचालय का निर्माण कराया जा सके। इस हेतु जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि अविलम्ब वार्ड सदस्यों का ग्रुप बनाकर इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

कार्यपालक अभियंता, मनरेगा, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि सभी कनीय अभियंता /सहायक अभियंता को सुखासन पंचायत में भ्रमण हेतु निदेशित करें।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि ग्वालपाड़ा के खोखसी पंचायत में काम का प्रगति बहुत ही धीमी है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिस पंचायत में कार्य में प्रगति नहीं हो रही है, तो उसके स्थान पर दूसरे पंचायत को चिन्हित किया जाए।

(10) नीलाम पत्र :-

जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि नीलाम पत्र कार्यालय में जितने भी वाद हैं, उनका एक्सेल शीट में सूची तैयार करावें एवं उसका मेल मर्ज के द्वारा सभी संबंधितों को नोटिस निर्गत करें एवं अनुपालन से आगामी सोमवारीय बैठक में अवगत करावें।

(11) कन्या विवाह योजना :-

जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा से पृच्छा की गयी एवं निदेश दिया गया कि अविलम्ब कन्या विवाह योजना मद में आवंटन हेतु विभाग को अधियाचना आज ही भेजवाना सुनिश्चित करें।

(12) कोशी पुनर्वास :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कोशी पुनर्वास योजना दिनांक 31-12-2016 को बंद हो रहा है, अतएव डी0पी0एम0, कोशी पुनर्वास, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि जितने भी मामलें भुगतान हेतु लंबित है, उसे अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई हेतु संचिका उपस्थापित करें। साथ ही यह भी पृच्छा की गयी कि कौन-कौन प्रखण्ड में एडभाईस लंबित है, तो उनके द्वारा बताया गया कि चौसा, बिहारीगंज, ग्वालपाड़ा, कुमारखण्ड, शंकरपुर, सिंहेश्वर में एडभाईस लंबित नहीं है, जबकि मधेपुरा, मुरलीगंज, पुरैनी, उदाकिशुनगंज आदि में लंबित है। जिलाधिकारी द्वारा डी0पी0एम0 को निदेश दिया गया कि पूर्व में 707 लाभुकों की जांच हेतु निदेशित किया गया था कि कौन-कौन से लाभुक को इसका लाभ दिया जाना था, अतएव विभाग द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के आलोक में जांच कर अविलम्ब जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करावें, ताकि अग्रतर कार्रवाई शीघ्र किया जा सके।

(13) मध्याह्न भोजन :-

जिलाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना से पृच्छा की गयी कि आवंटन प्राप्त हुआ है या नहीं, तो बताया गया कि इस संबंध में आंवटन उपलब्ध नहीं हुआ है। निदेश दिया गया कि विभाग से इस संबंध में अनुरोध करें।

(14) छात्रवृति की जांच :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विगत सप्ताह में छात्रवृति की जांच हेतु तीन प्रखण्डों में जांच समिति का गठन किया गया था, परन्तु जांच प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो खेद का विषय है। संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब जांच कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।

(15) आपूर्ति :-

जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा से पृच्छा की गयी, तो उनके द्वारा बताया गया कि माह-नवम्बर, 2016 का अनाज बंट गया है। जबकि माह दिसम्बर, 2016 का 134 बटा है। जिला प्रबंधक द्वारा बताया गया कि कुछ दिन रैक नहीं रहने के कारण उठाव नहीं हो पाया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिस दिन रैक नहीं रहे, उस दिन प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फुड कॉ0लि0, पटना को पत्राचार करने हेतु संचिका उपस्थापित करें।

रेशनलाईजेशन :- जिलाधिकारी द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज से अनुरोध किया गया कि सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के यहां जी0पी0एस0 लगवाया जाए, ताकि अनाज

का वितरण संबंधी सूचना सभी आमजनों को आसानी से मिल सके। साथ ही जन वितरण प्रणाली विक्रेता की नयी नियुक्ति के संबंध में भी नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई करने हेतु कहा गया।

(16) जीविका :-

समीक्षा के क्रम में जीविका के द्वारा बताया गया कि जॉब कैम्प का आयोजन किया जाना है। निदेश दिया गया कि जिला योजना पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(17) धान अधिप्राप्ति :-

जिलाधिकारी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा से पृच्छा की गयी कि कितने पैक्सों द्वारा धान की खरीदारी प्रारंभ की गयी है, तो इस संबंध में बताया गया कि कुल 130 पैक्सों में 113 पैक्सों में धान की खरीदारी शुरू हो गयी है, जिसमें 135 किसान से लगभग 934 एम0टी0 धान खरीदारी हुई है। निदेश दिया गया कि सभी किसानों का मोबाईल नम्बर पर एस0एम0एस0 के माध्यम से धान की खरीदारी हेतु सूचना दें तथा अधोहस्ताक्षरी का भी मोबाईल नम्बर एस0एम0एस0 हेतु टैग करें।

यह भी निदेश दिया गया कि प्रत्येक मंगलवार को जिला टास्क फोर्स की बैठक आहूत की जाती है, जिसमें सभी प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी को भाग लेने हेतु निदेशित करें।

(18) कल्याण :-

समीक्षा के क्रम में जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि छात्रवृति का वितरण हो गया है। मेधा योजना छात्रवृति बांटने हेतु शेष बचा हुआ है। साथ ही सभी लाभुकों का खाता नम्बर की जांच हेतु विकास मित्रों को प्रतिनियुक्त किया गया है। निदेश दिया गया कि सही लाभुक को छात्रवृति का लाभ दिया जाए, इसे हरहाल में सुनिश्चित करें। साथ ही अनुसूचित जाति /जनजाति अत्याचार निवारण संबंधी बैठक आहूत कराने का निदेश जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा को दिया गया।

(19) परिवहन :-

परिवहन कार्यालय द्वारा समर्पित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि स्थिति संतोषजनक नहीं है। शमन की राशि तथा सड़क के किनारे अवैध गाड़ी की जांच में वसूली की राशि अधिक नहीं है, इसका यह तात्पर्य है कि गाड़ियों की जांच नियमित नहीं की जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विगत सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह बताया गया कि सड़क दुर्घटना, मद्यनिषेध आदि के मद्देनजर मोटरवाहनों की नियमित जांच किया जाना वांछनीय है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक तथा इनफॉर्समेन्ट ऑफिसर के साथ तीन जगहों यथा-मानिकपुर, सबैला एवं न्यु बाईपास, मधेपुरा के पास बैरियर /चेकपोस्ट लगाकर तथा सभी थान के सामने बैरियर /चेकपोस्ट लगाकर पूर्वा0 09:00 बजे से 11:00 बजे पूर्वा0 के बीच वाहनों की जांच हेतु एक संयुक्त आदेश पत्र निर्गत करने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को दिया गया, ताकि मोटरवाहनों की नियमित जांच की जा सके।

(20) पेंशन :-

जिलाधिकारी द्वारा पेंशन की समीक्षा की गयी। बताया गया कि कुल 65,195 लॉक हुआ है। जबकि आलमनगर-5445, उदाकिशुनगंज-6600, ग्वालपाड़ा-4200, मुरलीगंज-5000, शंकरपुर-3100, सिंहेश्वर-5400 लॉक किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रखण्ड में भी लॉक

की स्थिति संतोषजनक नहीं है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा खेद प्रकट किया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पेंशन की राशि गरीब-मजदूर को मिलती है, अतएव यह आवश्यक है कि पेंशनधारियों का कार्य ससमय एवं प्राथमिकता के आधार पर संबंधित पदाधिकारी को किया जाना चाहिए। संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि शत-प्रतिशत लॉक कराना सुनिश्चित करें।

(21) ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्राम सम्पर्क सड़क योजनान्तर्गत वैसे सड़क, जिनका चयन किसी कारणवश नहीं हो सका है, उसकी सूची अविलम्ब उपलब्ध करायी जाए। बताया गया कि 250 से उपर की आबादी वाले को एम0एम0जी0एस0वाई0 में जोड़ना है, जबकि 500 से उपर वाले आबादी वाले को पी0एम0जी0एस0वाई0 में जोड़ना है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार को दो तरह की सूची भेजी जानी है, इस हेतु सभी अंचलाधिकारी के साथ आज समीक्षा की जाएगी, जिसमें कनीय /सहायक अभियंता के साथ-साथ अंचलाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज की उपस्थिति अनिवार्य है।

(22) आई0सी0डी0एस0 :-

समीक्षा के क्रम में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि जिस-जिस केन्द्र पर सेविका /सहायिका के चयन का मामला लंबित है, उनसे संबंधित संचिका उपस्थापित की गयी है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(23) विद्युत आपूर्ति /परियोजना :-

समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, विद्युत द्वारा बताया गया कि विद्युत लाईन ट्राइसमिशन के शिफ्टिंग का मामला है, जिसके संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित करें। अंचलाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क स्थापित कर अविलम्ब अग्रतर कार्रवाई करें।

जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से पृच्छा की गयी कि उनके प्रखण्डान्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य शत-प्रतिशत हुआ है अथवा नहीं, तो सिंहेश्वर, गम्हरिया, घैलाढ़, ग्वालपाड़ा, पुरैनी द्वारा बताया गया कि सभी जगहों विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है। जबकि आलमनगर, मधेपुरा एवं शंकरपुर द्वारा बताया गया कि कुछ जगह कार्य बांकी है। जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना से पृच्छा की गयी कि आगामी सप्ताह में किस-किस प्रखण्ड में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण होगा, तो उनके द्वारा बताया गया कि बिहारीगंज में पूर्ण हो जाएगा। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज को निदेश दिया गया कि इसकी जांच कर आगामी बैठक में वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे कि कार्य वास्तव में पूर्ण हुआ है या नहीं।

इसी प्रकार बी0पी0एल0 कनेक्शन की समीक्षा की गयी, तो बताया गया कि सुखासन पंचायत में शत-प्रतिशत बी0पी0एल0 कनेक्शन लगा दिया गया है। जबकि अभी तक 53,654 हुआ है। यह भी बताया गया कि कुल लक्ष्य 90,000 निर्धारित है। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि यथानिदेशित अवधि दिनांक 25-01-2017 तक कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करावें।

ऑन–स्पॉट बिलिंग :- जिलाधिकारी द्वारा ऑन–स्पॉट बिलिंग की समीक्षा की गयी एवं निदेश दिया गया कि हर हमेशा अतिरिक्त प्रिंटर की व्यवस्था नियमानुसार करें, ताकि बिलिंग में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो सके।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि पतरघट में बी0एस0एन0एल0 का टॉवर है, जहां वोल्टेज की कमी के कारण लाईन ड्रॉप ज्यादा करता है। कार्यपालक अभियंता, विद्युत एवं विद्युत परियोजना को निदेश दिया गया कि इसका निदान एक सप्ताह के अंदर सुनिश्चित करते हुए अनुपालन से अवगत करावें।

(24) एन0एच0 :-

समीक्षा के क्रम में अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि रूपौली में 24 परिवार है, जो एन0एच0 की जमीन में ही बसे हुए है, जबकि वह जमीन बिहार सरकार की नहीं है। बैठक में उपस्थित सहायक अभियंता,एन0एच0 को निदेश दिया गया कि इसकी जानकारी कार्यपालक अभियंता को अविलम्ब दें तथा इसका निराकरण करावें।

समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि एन0एच0-106 अन्तर्गत ग्वालपाड़ा की सड़क में मरम्मति का कार्य हो रहा है अथवा नहीं, तो अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा बताया गया कि मरम्मति का कार्य नहीं हो रहा है। सहायक अभियंता को निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित एजेंसी के साथ अविलम्ब बैठक बुलावें, ताकि इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिया जा सके।

(25) पुल निर्माण निगम :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पुल निर्माण निगम के अधीन बन रहे छात्रावास का कल दिनांक 27-12-2016 को निरीक्षण किया जाएगा, अतएव कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण निगम को निदेश दिया गया कि कल अधोहस्ताक्षरी के साथ उक्त स्थल पर स्वयं उपस्थित रहेंगे। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि भागलपुरिया पुल एवं मुरलीगंज में बन रहे पुल में समस्या है, अतएव संबंधित अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब प्रस्ताव समर्पित करें।

(26) डी0आर0सी0सी0 :-

समीक्षा के क्रम में प्रबंधक द्वारा बताया गया कि यू0पी0एस0 इन्स्टॉल नहीं हो रहा है, जबकि मोटर भी खराब हो गया है। जिला योजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(27) भवन निर्माण निगम :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि बिहारीगंज एवं मुरलीगंज में दो-दो गोदाम के निर्माण हेतु जमीन की आवश्यकता है। इस संबंध में पूर्व में भी पत्र दिया गया था, परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है। बताया गया कि बिहार राज्य खाद्य निगम का एन0ओ0सी0 दिया गया है। जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा, जिला कृषि पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण निगम को निदेश दिया गया कि संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कर नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

निजी सहायक,	प्रभारी पदाधिकारी	जिलाधिकारी
जिला गोपनीय **शाखा, मधेपुरा।**	**जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।**	मधेपुरा।

ज्ञापांक 3140 /गो0, मधेपुरा, दिनांक 27/12/2016

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा/ जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा /डी0पी0एम0, जीविका, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, मधेपुरा /जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा /श्रम अधीक्षक, मधेपुरा /डी0आई0ओ0, मधेपुरा /सहायक नियंत्रक, माप एवं तौल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, एम0डी0एम0, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, डूडा, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा /जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, एन0एच0 प्रमण्डल, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /नगर पंचायत, मुरलीगंज /जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज /त्रिवेणीगंज /राघोपुर एवं लघु जल संसाधन, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण निगम, मधेपुरा /सहरसा /जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/12/16
निजी सहायक,
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।
Khalid 27/12/16

27/12/16
प्रभारी पदाधिकारी
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।